भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज भोपाल

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT, BHOPAL(MP)

Phone : 0755-2478250, 51, 52, 53/2802535 Fax No. 0755- 2450896

B.S.D.S

Email-Id : bsdsim@gmail.com, gm.fo.bsds@gmail.com

क्र. **152—153**/क्षें.सं./भोसदुसं/2021 दिनांक **23.01.2021**

बोलेरों जीप या समकक्ष वाहन हेतु तृतीय ई—निविदा

भोपाल सहकारी दुध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र के केम्प विदिशा/लटेरी/पचमा/ग्यारसपुर/गैरतगंज/सिलवानी/बरेली/देवरी/गौहरगंज/राजगढ़/पचोर/नरसिंहगढ़ /जीरापुर/आष्टा/मालीबायॉ/शुजालपुर/सोहागपुर/कीरतपुर/हरदा से सम्बंधित जिले में दिनांक 01.03.2021 से 29.02.2024 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु क्षेत्रीय गतिविधियों में भ्रमण कार्य हेतु टेक्सी परमिट बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन (मॉडल 2017 या उसके बाद) हेतु ऑन—लाईन ई—निविदा आंमत्रित की जाती है। प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 10,000/— प्रति वाहन के मान से ऑन—लाईन ईएमडी जमा कराना अनिवार्य होगी। ईएमडी की मूल रसीद एवं वाहन होने की दशा में वाहन पंजीयन, बीमा, टेक्सी परमिट, फिटनेस, प्रदूषण जाँच रिपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति तथा नवीन वाहन हेतु ईएमडी की मूल रसीद एवं रूपये 100/— के स्टेम्प पेपर पर वाहन उपलब्ध कराने का नोटराइज्ड निर्धारित शपथ पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति भौतिक रूप से जमा किये जाने वाले तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।

निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से एक—एक वर्ष करके अनुबंधित अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व अनुमोदित दर व शर्त पर की जा सकेगी। माह मे न्यूनतम 2000 एवं अधिकतम 2500 कि.मी. के लिए भुगतान किया जावेगा।

क्र	केम्प का नाम जिनके लिए बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन की आवश्यकता है।	ई—निविदा क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक/समय	ई—निविदा प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक/समय	ई—निविदा खोलने का दिनांक/समय एवं स्थान
1	विदिशा/लटेरी/पचमा/ग्यारसपुर/गैरतगंज/सिलवानी/बरेली/देवरी/गौहरगंज (जिला विदिशा एवं रायसेन)	दिनांक 27.01.2021 समय दोपहर 12.00 बजे	दिनांक 03.02.2021 समय दोपहर 1.00 बजे	दिनांक 04.02.2021 समय दोपहर 2.00 बजे
2	राजगढ़/पचोर/नरसिंहगढ़/जीरापुर (जिला राजगढ़)			
3	आष्टा/मालीबायॉ/शुजालपुर (जिला सीहोर एवं शाजापुर)			
4	सोहागपुर/कीरतपुर/हरदा (जिला होशंगाबाद एवं हरदा)			

बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु ई—निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण (निविदा कार्यक्रम/वाहन संचालन क्षेत्र की विस्तृत जानकारी/अनुबंध की शर्ते/नियम) मध्यप्रदेश स्टेट को—ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल की वेबसाईट www.sanchibhopal.com एवं www.mpcdf.gov.in पर देखी जा सकती है, तथा निविदा बेबसाईट www.mptenders.gov.in के माध्यम से भरी जा सकती है। समस्त निविदाऐं या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाईट में ही परिवर्तन किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में नहीं, अतः नियमित रूप से से एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.sanchibhopal.com एवं www.mpcdf.gov.in देखें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/–

–: निविदा प्रपत्र :–

निविदा कार्यः–

1. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेंत्र के केम्प . विदिशा/लटेरी/पचमा/ग्यारसपुर/गैरतगंज/सिलवानी/बरेली/देवरी/गौहरगंज/राजगढ़/पचोर/ नरसिंहगढ़/जीरापुर/आष्टा/मालीबायॉ/शुजालपुर/सोहागपुर/कीरतपुर/हरदा से सम्बंधित जिले में दिनांक 01.03.2021 से 29.02.2024 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु क्षेत्रीय गतिविधियों में भ्रमण कार्य के लिए टेक्सी परमिट बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन की ई–निविदा। माह में न्यूनतम 2000 एवं अधिकतम 2500 कि.मी. के लिए भुगतान किया जावेगा।

ई–निविदा क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय	: **27.01.2021 को दोपहर 12:00 बजे से**
ई–निविदा क्रय एवं जमा हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	: **03.02.2021 .को दोपहर 1:00 बजे तक**
भौतिक रूप से निविदा कार्यालय में जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	: **04.02.2021 को दोपहर 1:00 बजे तक**
तकनीकी ई–निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय	: 04.02.2021 **को दोपहर 2:00 बजे**
पत्राचार हेतु पताः–	: **भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल–462024(म.प्र.)**

निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा प्रपत्र को Online एवं Offline लिफाफे में भेजना होगा।

(अ) धरोहर राशि (EMD) – (Submit online)

(ब) Technical Bid – Online एवं Offline

(स) निविदा प्रपत्र (Price Bid) – केवल Online भेजे

नोटः– सभी निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑन लाईन जमा की गई धरोहर राशि (EMD) की मूल रसीद भौतिक रूप से भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर भौतिक निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व भौतिक रूप से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में जमा करें। निविदा प्रपत्र Price Bid को online एवं Technical bid को Online एवं Offline माध्यम से ही भेजा जावे।

ANNEXURE I	: निविदा शर्त (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)
ANNEXURE II	: अनुबंध पत्र प्रारूप (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)
ANNEXURE III	: फार्म – (बोलरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)
ANNEXURE IV	: भाव पत्र (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)
ANNEXURE V	: नवीन वाहन हेतु शपथ पत्र प्रारूप

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

बोलरों जीप/समकक्ष वाहन संचालन हेतु नियम एवं शर्ते

1. बोलरों जीप/समकक्ष वाहन मॉडल वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का होना चाहिए।
2. निविदा प्रस्तुत करने के दिनॉक को ऐसे निविदाकार जिनके पास स्वयं के नाम का आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत व्यावसायिक वाहन हो अथवा ऐसे निविदाकार जो वर्ष 2021 का नवीन वाहन उपलब्ध करा सके, वे निविदा भरने के पात्र होगें। वाहन होने की दशा में निविदाकार द्वारा स्वयं की मिलकीयत दर्शाने के लिए कोई इकरारनामा/शपथ पत्र/रसीद अथवा कोई अधिकार पत्र मान्य नही किया जावेगा। केवल आर.टी.ओ. द्वारा जारी हस्तानान्तरण सम्बंधी दस्तावेज ही पंजीकृत वाहन की मिलकीयत के लिए मान्य होगा। नवीन वाहन हेतु रूपये 100/– के स्टैम्प पेपर पर वाहन उपलब्ध कराने का नोटराइज्ड निर्धारित शपथ पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, की सत्यापित प्रति एवं ऑन–लाईन जमा ईएमडी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा में सम्मिलित नही किया जावेगा।
3. वाहन प्रथमतः तीन वर्ष हेतु चलाई जावेगी, आवश्यकता पडने पर समयावधि में वृद्धि समान दरों एवं समान शर्तो पर की जा सकेगी।
4. वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगें।
5. वाहन मालिक को ई–निविदा के साथ रू. 10,000/– प्रति वाहन धरोहर राशि के रूप में **Online** जमा कराने होगें।
6. वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास वैधानिक ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।
7. वाहन में समस्त वैध कागजात, रजिस्ट्रेशन पेपर, बीमा, परमिट, फिटनेस, प्रदषण जाँच रिपोर्ट चालक का ड्राईविंग लाईसेंस रखना अनिवार्य होगें। एक प्रति कार्यालय में भी जमा करनी होगी।
8. जीप वाहन टेक्सी परमिट का होना अनिवार्य है।
9. निविदा स्वीकृति पश्चात मांगे जाने पर 30 दिवस में वाहन उपलब्ध कराना होगा।
10. वाहन का परिचालन क्षेत्रीय गतिविधियों हेतु एक माह में अधिकतम 2500 कि.मी. चलाई जावेगी, उससे कम चलने पर न्यूनतम 2000 कि.मी. के आधार पर भुगतान देय होगा।
11. वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी से मय कि.मी. हस्ताक्षर करवाना होगें।
12. वाहन में लगने वाले डीजल/ऑईल हेतु संघ से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. वाहन का देयक आगामी माह की 3 तारीख तक जमा करना होगा, जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा।
14. प्रथम देयक के साथ पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
15. देयक से कटोत्रा किये गये टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त में प्रदान किया जावेगा।
16. वाहन मालिक को कार्य आदेश के पश्चात रू. 1,000/– के Non Judicial Stamp पर नोटराईज्ड अनुबंध करना होगा।
17. वाहन लगने के पश्चात डीजल दरों में वृद्धि/कमी होने पर जीप का औसत 15 कि.मी. प्रतिलीटर के आधार पर दरों में वृद्धि/कमी माह में एक बार की जावेगी।

18. वाहन के लॉग बुक में इन्ट्री कर उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात देयक प्रस्तुत करने पर संघ से भुगतान किया जावेगा। टोल–टेक्स का भुगतान वाहन मालिक को स्वयं करना होगा।
19. वाहन मालिक द्वारा किन्ही कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन रू. 1000/– या अन्य वाहन व्यवस्था करने पर जो वास्तविक व्यय आवेगा, उसकी दर से पेनल्टी की जावेगी।
20. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंध अवधी के पूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बन्द किया जा सकेगा। वाहन मालिक द्वारा बिना पूर्व सूचना वाहन हटाने पर धरोहर राशि एवं सुरक्षा अमानत पेटे की राशि राजसात की जावेगी।
21. निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा अमानत पेटे रू. 10,000/– प्रति वाहन संघ में जमा करना अनिवार्य होगें, जो वाहन बन्द होने के पश्चात् बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
22. कोई घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल एवं बोलरों जीप/समकक्ष वाहन निविदाकार के मध्य किये जाने वाला अनुबंध

1000/–रू. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध किया जाए।

अनुबंधकर्ता का फोटो

/ / / अनुबंध पत्र / / /

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (निविदाकार/निविदाकार संस्था) श्री/श्रीमती .... निवासी .... एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती .... है एवं द्वितीय पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल के जिले .... के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम पक्षकार के जीप/समकक्ष वाहन/डीजल कार जिसका पंजीयन क्रमांक .... है, से द्वितीय पक्षकार (भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल) द्वारा निर्धारित समय हेतु आवेदन किया है एवं द्वितीय पक्षकार ने इससे आगे लिखे गये निबन्धनों एवं शर्तो पर प्रथम पक्षकार का आवेदन दर रू. .... (अक्षरी रू. ....) प्रतिकिमी पर अग्रलिखित शर्तो के अनुसार अनुबन्ध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज फोटो के सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्ते उभयपक्षों को मान्य होगी।

1) यह ठेका अवधि दिनांक .... से दिनांक .... तक प्रभावशील रहेगी।
2) इन शर्तो को जीप/समकक्ष वाहन/डीजल कार परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा। शर्तो में जहॉ–जहॉ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल माना जावेगा।
3) वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तर दायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा, यदि डीजल के अभाव में वाहन नहीं भेजा जाता है अथवा विलम्ब से भेजा जाता है तो नुकसानी के लिए प्रथम पक्ष जवाबदार होगा। ईधन के रूप में केवल डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा।
4) संघ अधिकारियों के अलावा वाहन में अन्य कोई सवारी नहीं बिठाई जावेगी।
5) वाहन चालक के लिए प्रथम पक्ष द्वारा जो चालक नियुक्त किया जावेगा उसे संघ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करना होगा तथा उसके अवैधानिक कृत्यों के लिए संघ जवाबदार नहीं होगा।
6) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रखना होगा। खराब होने पर 24 घण्टे में प्रथम पक्ष द्वारा उसे सुधरवाया जावेगा।
7) प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुं. .... संबंध .... उम्र .... पूर्ण होंशो हवास में में नामांकित घोषित करता हूॅ। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. .... को संघ से व्यवहार करने का अधिकार होगा। इसकी स्वीकृति हेतु वारिस के हस्ताक्षर करवाकर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को देगा।
8) प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य भेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा दिया जावेगा, वह दोनों पक्षों को मान्य होगा।

9) संघ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री/सगे भाई–बहन नहीं है, यह कथन प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। यदि जॉच के दौरान कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

10) स्वीकृत दरें अनुबंध अवधि तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंधित दरों में कमी/वृद्धि माह में एक बार की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना 15 किमी प्रति लीटर के औसत आधार पर की जावेगी।

11) अनुबंधित वाहन का ड्रायवर प्रथम पक्ष का निजी कर्मचारी होगा तथा इनका कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या अन्य कोई अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इसका रिकार्ड का लेखा जोखा प्रथम पक्ष को ही रखना होगा।

12) प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के 15 दिवस में स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की स्वसत्यापित छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करना होगी, तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्रवाई द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।

13) **प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिभूति अमानत पेटे संघ में रू. 10,000/– प्रति वाहन जमा कराने होगें, जो अनुंबध समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।**

14) प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अनुबंधित वाहन की वाहन निर्माता के तय मानक अनुसार नियमित सर्विसिंग होवे, जिससे अनुरक्षण के अभाव में खराबी उत्पन्न नहीं हो।

15) प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो का लगातार उल्लंघन करने या कार्य असंतोषजनक करते रहने तथा आदेशों का पालन नहीं करने की दशा में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा वह अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि एवं सुरक्षा अमानत पेटे की राशि जब्त करले, इसके अतिरिक्त इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूली जा सकेगी।

16) वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर, परमिट, फिटनेस, प्रदूषण जाँच रिपोर्ट इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगें।

17) वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।

18) वाहन एक माह में अधिकतम 2500 कि.मी. चलाई जावेगी, उससे कम चलने पर न्यूनतम 2000 कि.मी. का भुगतान देय होगा।

19) वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी से मय कि.मी. हस्ताक्षर करवाना होगें।

20) वाहन में लगने वाले डीजल/ऑईल हेतु संघ से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

21) वाहन का देयक आगामी माह की 3 तारीख तक जमा करना होगा, जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा।

22) देयक से कटोत्रा किये गये टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त में वित्त शाखा द्वारा प्रदान किया जावेगा।

23) वाहन संचालन हेतु समस्त विधिक एवं नियामकीय दायित्व वाहन ठेकेदार का होगा।

24) वाहन मालिक द्वारा किन्ही कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन रू. 1000/– या अन्य वाहन व्यवस्था करने पर, जो वास्तविक व्यय आवेगा, उसकी दर से पेनल्टी की जावेगी।

25) यदि वाहन मालिक द्वारा समयपूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बन्द किया जा सकेगा। वाहन मालिक द्वारा बिना पूर्व सूचना वाहन हटाने पर धरोहर राशि एवं सुरक्षा अमानत पेटे की राशि राजसात की जावेगी।

26) निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा अमानत पेटे रू. 10,000/– प्रति वाहन संघ में जमा करना अनिवार्य होगें, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

27) किसी भी विवाद की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्रवाई का कार्यक्षेत्र भोपाल रहेगा।

द्वितीय पक्ष	**प्रथम पक्ष**
	हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता ....
	नाम ....
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,	**पिता/पति का नाम ....**
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल	**पता ....**
	दूरभाष क्रं. ....
	मोबाईल नम्बर ....

अनुबंधकर्ता के जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर	**अनुबंधकर्ता के गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर**
हस्ताक्षर ——————————	हस्ताक्षर ————————————
01. नाम ————————————	01.नाम ————————————————
पता ————————————	पता————————————————
मो0 नं. ——————————	मो0नं.——————————————
आई.डी. प्रूफ ————————	आई.डी. प्रूफ ————————————
02. नाम ————————————	02 नाम————————————————
पता ————————————	पता————————————————
मो0 नं.————————————	मो0 नं.——————————————
आई.डी. प्रूफ ——————————	आई.डी. प्रूफ ————————————

ANNEXURE –III

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
–:: बोंलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु निविदा पत्र ::–
फार्म – A

फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

विषयः– भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की निविदा सूचना अनुसार कार्यक्षेत्र अन्तर्गत क्षेत्रीय गतिविधियों में भ्रमण हेतु टेक्सी परमिट बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन लगाने बाबद।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित **ई–निविदा सूचना** अनुसार दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के विदिशा/लटेरी/पचमा/ग्यारसपुर/गैरतगंज/सिलवानी/बरेली/देवरी/गौहरगंज/राजगढ़/पचोर/नरसिंहगढ़/जीरापुर/आष्टा/मालीबायॉ/शुजालपुर/सोहागपुर/कीरतपुर/हरदा से सम्बंधित जिले में क्षेत्रीय गतिविधियों में भ्रमण हेतु टेक्सी परमिट बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई–निविदा प्रस्तुत कर रहा हूॅ। उपरोक्त बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई–निविदा के समस्त नियम एवं शर्ते मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली गई हैं जो मुझे मान्य है। विस्तृत विवरण निम्नवत है–

1. वाहन ठेकेदार का नाम/निविदाकार संस्था का नाम : ....
   पिता का नाम : ....
   पूरा पता : ....
   मोबाईल नम्बर : ....
2. वारिस का नाम : ....उम्र ....वर्ष, सम्बन्ध ....
3. निविदा धरोहर प्रति वाहन राशि रू. 10000/– (दस हजार रूपयें केवल) ऑनलाईन जमा करने का रिफ्रेंश नम्बर .... सलंग्न है।
4. वाहन कं. .... वाहन का प्रकार..
   वाहन की सवारी क्षमता .... माडल वर्ष..
5. जिले का नाम (जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है)..
6. आयकर विभाग का पैन (PAN) नम्बर..
7. निविदा अवधि से एक वर्ष तक या संघ को आवश्यकता पडने पर मैं समान दर एवं समान शर्तों पर अवधि बढाने का अधिकार संघ को प्रदान करता हूॅं।

टीपः– इस फार्म A को पूर्ण रूप से भरकर, इसके साथ धरोहर राशि, वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन बीमा, टेक्सी परमिट, वाहन फिटनेस, प्रदूषण जॉंच रिपोर्ट, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति Online ई–निविदा में एवं भौतिक रूप से लिफाफे में भोपाल दुग्ध संघ क्षेत्र संचालन कार्यालय में जमा करे, अन्यथा प्रस्तुत ई–निविदा मान्य नहीं होगीं।

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

ANNEXURE - IV

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/–

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

–:: बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु भाव–पत्र ::–

निविदा दिनांक से तीन वर्ष हेतु

निविदाकार का नाम : ....

क्र.	मुख्यालय	जिले का नाम	क्षेत्रीय गतिविधियों हेतु कार्यक्षेत्र केम्प का नाम	वाहन का प्रकार (वर्ष 2017 एवं उसके बाद का मॉडल)	अधिकतम 2500 कि.मी. प्रतिमाह हेतु प्रति कि.मी. दर रूपये
1	विदिशा	विदिशा एवं रायसेन	विदिशा/लटेरी/पचमा/ग्यारसपुर/गैरतगंज/सिलवानी/बरेली/देवरी/गौहरगंज	बोलरो जीप/समकक्ष वाहन	
2	नरसिंहगढ़	राजगढ़	राजगढ़/पचोर/नरसिंहगढ़/जीरापुर	बोलरो जीप/समकक्ष वाहन	
3	सीहोर	सीहोर एवं शाजापुर	आष्टा/मालीबायॉ/शुजालपुर	बोलरो जीप/समकक्ष वाहन	
4	सोहागपुर	होशंगाबाद एवं हरदा	सोहागपुर/कीरतपुर/हरदा	बोलरो जीप/समकक्ष वाहन	

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

ANNEXTURE –V

(नोट :– निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेगें।)

नवीन वाहन हेतु रूपये 100/–रू. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

/// शपथ–पत्र ///

मैं. .... आत्मज .... निवासी ....तहसील.........................जिला....................शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :–

01. यह कि मैं .... प्रदेश का मूल निवासी हूँ तथा उपरोक्त वर्णित पते पर निवास करता हूँ।
02. यह कि मेरे द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के ई–निविदा कार्यक्षेत्र अन्तर्गत केम्प में क्षेत्रीय गतिविधियों में भ्रमण कार्य के लिए ई–निविदा हेतु आवेदन किया गया है। लेकिन मेरे पास वर्ष 2017 या उसके बाद का पंजीकृत वाहन उपलब्ध नही है।
03. यह कि यदि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मेरे द्वारा वर्ष 2021 का नवीन...वाहन आपके नियमों एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित दिनांक एवं समय तक उपलब्ध कराया जावेगा।
04. यह कि मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध नही कराता हूँ तो दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार की जाने वाले कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
05. यह कि शपथ पत्र उपरोक्त तथ्यों की सत्यतास्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है।

शपथग्रहित

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि उक्त सहमति में चरण क्रमांक 01 से 05 लगातार कही गई बातें एवं जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। जिसका सत्यापन आज दिनांक .... को स्थान .... में हस्ताक्षरित किया गया।

शपथग्रहित

<u>अनुबंध पत्र की कंडिका 9 के तहत शपथ–पत्र</u>

100/– रू. मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पर प्रमाणित

<u>शपथ – पत्र</u>

1. मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरा नाम.. पिता/पत्नी श्री.. उम्र................ वर्ष, जाति........................ निवासी........ .... तहसील..................... जिला..................... म.प्र. का/की हूँ।
2. मुझे संघ के आदेश क्रमांक.................. दिनांक................... के द्वारा कैम्प...................... में मार्ग क्रमांक....................... पर अपना वाहन ....क्रमांक........................ को स्थाई रूप से संचालन करने हेतु औपचारिकताऐं पूर्ण करने बाबत् पत्र प्राप्त हुआ है।
3. मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी होकर शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मंडल के सदस्यों में मेरा कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई–बन्धु नही हैं इस तथ्य के संबंध में मेरे द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, अगर जांच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह स्थाई अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर लें।

दिनांक .... **हस्ताक्षर शपथकर्ता**

स्थान ....

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथ पूर्वक पूरे होश–हवाश में सत्य कथन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में क्रमांक 01 से 03 तक लगातार कथन मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य हैं।

दिनांक .... **हस्ताक्षर शपथकर्ता**

स्थान ....

नॉमिनी हेतु अनुबंध–पत्र की कंडिका 7 के तहत शपथ–पत्र

100/– रू. मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पर प्रमाणित

शपथ – पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पत्नी श्री.. उम्र................. वर्ष, जाति......................... निवासी... तहसील..................... जिला...................... म.प्र. का शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ ।
2. यह कि द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी............................. पिता/पत्नी श्री.......................... निवासी............................. को संघ के आदेश क्रमांक....................... दिनांक................... द्वारा कैम्प...................... के मार्ग क्रमांक................. पर अपना वाहन क्रमांक......................... अनुबंधित/संचालित करने हेतु औपचारिकताऐं पूर्ण करने बाबत् पत्र प्राप्त हुआ है एवं मेरा उनसे................................ का सम्बंध हैं।
3. यह कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.................................. पिता/पत्नी श्री................................. उम्र............... वर्ष.................. निवासी.................................. पूर्ण होश–हवाश में घोषित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................ द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत संघ से व्यवहार करने हेतु मैं अपनी वारिस होने की स्वीकृति देता/देती हूँ।

दिनांक .... **हस्ताक्षर शपथकर्ता(नामिनी)**

स्थान ....

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथ पूर्वक पूरे होश–हवाश में सत्य कथन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में क्रमांक 01 से 03 तक लगातार कथन मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य हैं।

दिनांक .... **हस्ताक्षर शपथकर्ता(नामिनी)**

स्थान ....